



मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 3282/MGNREGS-MP/NR-3/2010

दिनांक 01/04/2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
जिला - समस्त मध्यप्रदेश।

**विषय :- वर्ष 2013 तक म.प्र. के समस्त बसाहटों को बारहमासी ग्रामीण सड़क से जोड़ने
बावत्-वॉक थ्रू सर्वे**

-----0-----

बारहमासी ग्रामीण सड़क 2013 के तहत प्रस्तावित सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व प्रत्येक सड़क का वॉक थ्रू सर्वे किया जाना है।

2. प्रथम चरण में वाक थ्रू सर्वे हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा दलों का गठन किया जावेगा। दलों के गठन हेतु आदेश का प्रारूप प्रपत्र-1 संलग्न है। वर्ष 2010-11 में संपादित कराये जाने वाले कार्यों का वॉक थ्रू सर्वे एक अभियान के रूप में उपयंत्री को दल प्रभारी बनाया जाकर 10 दिवस की अवधि में कराया जावे। वॉक थ्रू सर्वेक्षण हेतु प्रपत्र 2.1,2.2, 2.3, 2.4 संलग्न है।

3. सर्वे के दौरान बॉरोपिट क्षेत्र व चिन्हाकित खदानों के मिट्टी के सैम्पल एकत्रित कराये जाकर प्रयोगशाला परीक्षण समीपस्थ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की प्रयोगशाला में कराया जावे। परीक्षण हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाना है। जनपद स्तर से संबंधित महाप्रबंधक, PMGSY को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप प्रपत्र-3 संलग्न है। वॉक थ्रू सर्वेक्षण की वीडियोग्राफी, सैम्पल एकत्रित करने हेतु एक मजदूर की मजदूरी आदि पर प्रत्येक कार्य हेतु राशि रु. 750/- (सात सौ पचास रुपये) तक की अधिकतम सीमा में व्यय किया जा सकेगा। इसके लिये दल प्रभारी उपयंत्री को अग्रिम राशि उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का होगा।

4. उक्त सर्वेक्षण के दौरान अतिक्रमण के प्रकरणों के त्वरित निपटारे हेतु एवं प्रस्तावित मार्ग में निजी भूमि आने पर संबंधित कृषकों को दान के लिए प्रेरित करने हेतु राजस्व अधिकारियों को समुचित निर्देश दिये जाकर कार्यवाही कराई जाना आवश्यक है।

5. एक दिवस में एक प्रस्तावित सड़क का वाक थ्रू सर्वे कराया जावे। पूर्वान्ह में सर्वेक्षण दल द्वारा भौतिक सर्वेक्षण तथा अपरान्ह में निर्धारित प्रपत्रों में जनपद पंचायत कार्यालय में प्रतिवेदन तैयार किया जावे। प्रतिवेदन में उल्लेखित विषय वस्तु के अनुसार स्थल से एकत्रित

किये गये मिट्टी, मुरुम इत्यादि के सैम्पल प्रयोग शाला परीक्षण हेतु महाप्रबंधक पीएमजीएसवाई को सहायक यंत्री स्तर से भेजे जावे ।

6. शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं निजी भूमि को दान में प्राप्त करने के प्रकरण क्रमशः तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत को भेजे जावे ।

7. वाक थ्रू सर्वे की प्रतिदिवस की भौतिक प्रगति की जानकारी संलग्न प्रपत्र-4 में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को ई-मेल से भेजते हुये प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अनिर्वाय रूप से उपलब्ध कराये जाने का दायित्व कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपा जावे ।

उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुये 05 अप्रैल 2010 तक वाक थ्रू सर्वेक्षण के लिये कार्यवाही संपादित कराये जाने का दायित्व जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का रहेगा ।

संलग्न प्रपत्र 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 एवं 4 ।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 3283 / MGNREGS-MP / NR-3 / 2010
प्रतिलिपि-

दिनांक 01 / 04 / 2010

1. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल ।
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर्यावास भवन भोपाल ।
4. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल ।
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल ।
6. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल(समस्त) ।
7. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पीआईयू.....समस्त मध्यप्रदेश ।
8. कार्यक्रम अधिकारी (समस्त) MGNREGS-MP, जनपद पंचायत..... मध्यप्रदेश ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

बारहमासी ग्राम सड़क निर्माण – 2013

Convergence (अभिसरण) - MGNREGS+BRGF+CMGSY

प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु मिट्टी का सैम्पल

1. सड़क का नाम
2. मिट्टी का प्रकार
3. सैम्पल एकत्रित करने का स्थल
- (क) बारोपिट क्षेत्र से
- (ख) खदान से
4. सड़क मार्ग से खदान की दूरी
5. सैम्पल एकत्रित करने की तारीख
6. प्रयोगशाला का नाम जहां परीक्षण कराया जाना है
7. सैम्पल नम्बर एवं सैम्पल पर किये जाने वाले टेस्ट के नाम

दल प्रभारी

(उपयंत्री)

जनपद पंचायत

जिला म0प्र0

प्रति,

सहायक यंत्री/अनुविभागीय अधिकारी (आर.ई.एस.)
जनपद पंचायत
जिला सतना म0प्र0

विषय :- एकत्रित किए गए सैम्पलों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे द्वारा दिनांक को वॉक थ्रू सर्वेक्षण किया गया। सड़क के निर्माण हेतु बारोपिट/खदान से मिट्टी के सैम्पल एकत्रित किए गये।

उपरोक्तानुसार एकत्रित किए गए सैम्पल संलग्न कर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

दल प्रभारी

(उपयंत्री)

जनपद पंचायत

जिला म0प्र0

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी

जनपद पंचायत

जिला

विषय :- वाक थ्रू सर्वे के दौरान अतिक्रमण एवं निजी भूमि को दान में प्राप्त किये जाने संबंधी जानकारी ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे द्वारा दिनांक को वॉक थ्रू सर्वेक्षण किया गया । सड़क के सर्वेक्षण के दौरान सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण एवं निजी भूमि को दान में प्राप्त किये जाने संबंधी प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है ।

क्र०	प्रकरण का विषय (अतिक्रमण / निजी भूमि को दान में प्राप्त करना)	कृषक का नाम	भूमि का खसरा नं० व क्षेत्रफल	सर्वे के समय कृषक का अभिमत
1	2	3	4	5
1				
2				

पटवारी
हल्का नं०

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत

दल प्रभारी
(उपयंत्री)
जनपद पंचायत
जिला म०प्र०

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील जिला म0प्र0

आदेश

राज्य शासन द्वारा बारहमासी ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों की 500 से कम एवं आदिवासी क्षेत्रों की 250 से कम आबादी वाली ग्रामीण बसाहटों को वर्ष 2013 तक जोड़े जाने का लक्ष्य तय किया गया। इस हेतु जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्रामों का वॉक थ्रू सर्वे किया जाना है। इस कार्य हेतु निम्नानुसार दलों का गठन किया जाता है।

क्र.	प्रस्तावित सड़क का नाम	दल प्रभारी एवं सहायक	दल के अन्य सदस्य	सर्वेक्षण दिनांक
1	2	3	4	5
1		1. श्री उपयंत्री RES/MGNREGA मोबाइल न 2. श्री पंचायत सचिव/पंचा0कर्मी ग्राम पंचायत मेबाइल नं.	1. श्री सरपंच ग्राम पंचायत 2. पटवारी हल्का नं. 3. जनप्रतिनिधि 4. जनप्रतिनिधि 5	
2				

दल प्रभारी उपयंत्री, सरपंच, पंचायत सचिव/पंचायतकर्मी, पटवारी निर्धारित सर्वेक्षण दिनांक के एक दिन पूर्व अपरान्ह में जनपद पंचायत कार्यालय में उपस्थित होंगे एवं वॉक थ्रू सर्वे हेतु आवश्यक प्रपत्र/पटवारी अभिलेख, वीडियोग्राफी हेतु संबंधित ब्यक्ति को सूचना देना, संबंधित कृषकों को सूचना देने इत्यादि तैयार करेंगे। की गई तैयारी की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को देंगे।

निर्धारित तिथि को वॉक थ्रू सर्वेक्षण की कार्यवाही संपादित करेंगे। दल के सभी सदस्य सर्वेक्षण उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त ही मुक्त होंगे।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
तहसील
जिला

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय, जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत
3. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अनुपस्थित कर्मचारियों की सूचना आगामी कार्यवाही हेतु उपलब्ध करावें।
5. संबंधित श्री की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
तहसील
जिला

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी,
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जनपद पंचायत, जिला (म0प्र0)

क्र. / ज.पं. / MGNREGS / दिनांक

प्रति,

महाप्रबंधक,
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पी.एम.यू. क्रमांक
जिला

विषय :- बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत एकत्रित किए गए मिट्टी सैम्पलों का प्रयोगशाला परीक्षण कर रिपोर्ट देने बावत्।

सन्दर्भ :- विभाग का पत्र क्र..... दिनांक ।
महोदय,

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सन्दर्भित पत्र के परिपालन में जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की मिट्टी के सैम्पल एकत्रित कर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु आपकी ओर भेजे जा रहे हैं।

विवरण निम्नानुसार है -

प्रस्तावित मार्ग का नाम	सैम्पल
1.	क्रमांक से तक
2.	क्रमांक से तक
3.	क्रमांक से तक
4.	क्रमांक से तक

उक्त सैम्पलों की मिट्टी का प्रयोगशाला परीक्षण कराया जाकर Max. dry density, Liquid limit, Plastic index CBR Value की रिपोर्ट भेजने का आपसे अनुरोध है।

सहायक यंत्री
(RES/MGNREGS-MP)
जनपद पंचायत
जिला

पृ.क्र. / ज.पं. / MGNREGS / दिनांक

प्रतिलिपि :-

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
- कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग
- सहायक लेखाधिकारी, NREGS जनपद पंचायत

सहायक यंत्री
(RES/MGNREGS-MP)
जनपद पंचायत
जिला